

164



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

त्रि/3693-II-15

श्री. हरिहर
द्वारा 11-15
प्रस्तुत

/2015 पुनरीक्षण

हरिहर पुत्र भागीरथ तिवारी निवासी-
वार्ड नं०- 2, जानकी बाग तिराहा,
जिला टीकमगढ़, म०प्र० ---- आवेदक

बनाम

म०प्र० शासन ---- अनावेदक

16-11-15

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश पत्रिका दिनांक 10/11/2015
पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़,
के प्रकरण क्रमांक 25/बी-121/2015-16 व उनवान
म०प्र० शासन बनाम हरिहर ।

माननीय महोदय


न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.-3693-दो/15

जिला- टीकमगढ

हरिहर विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 25/बी/121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, सागर जिला - सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, सागर जिला सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p>(जे0 के0 जैन) सदस्य</p>	